विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-33/15

श्री चिमनलाल पी चावरा — आवेदक
प्रो. वक्रतुण्ड कॉम्पलेक्स
एमपीआरटीसी बस स्टेण्ड के पीछे
होशंगाबाद म.प्र.

विरूद्ध

महाप्रबंधक (संचा./संधा.) वृत्त — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
होशंगाबाद म.प्र.

आदेश

(दिनांक 15.02.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत प्रकरण क्रमांक T.B./013 श्री चिमनलाल पी चावरा विरूद्ध महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. होशंगाबाद में पारित आदेश दिनांक 23.12.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–33/15 में तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में आवेदक द्वारा उनके द्वारा 25 किलोवाट के कनेक्शन के विरूद्ध अनावेदक द्वारा जमा कराए गये सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस की राशि वापस कराने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसका कि मुख्य आधार उनके द्वारा बनाये गये वाणिज्य परिसर वक्रतुण्ड शापिंग काम्पलेक्स के नाम से वर्ष 2008–09 में वाह्य विद्यतिकरण स्वीकृत हुआ था जिसके अनुसार उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर स्थापित किया था।

04 आवेदक द्वारा पुनः वर्ष 2010–11 में एक अन्य कनेक्शन 29 किलोवाट का अनावेदक से चाहा गया था जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा उनसे स्वयं के व्यय पर पूर्व में स्थापित 100 केवीए ट्रांसफार्मर की क्षमता 200 केवीए बढ़ायी गई थी ।

05 वर्ष 2008–09 में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभार की वसूली) विनियम 2006 लागू था जिसमें कि सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस लेने का कोई प्रावधान नहीं था एवं वर्ष 2009 में इस विनियम का पुनरीक्षित होने पर विनियम, 2009 की कंडिका 1 (iii) के अनुसार उनके ऊपर 2006 में लागू प्रावधान ही प्रभावशील होंगे।

06 अनावेदक द्वारा अवगतकराया गया कि चूंकि आवेदक द्वारा 25 किलोवाट के नये कनेक्शन हेतु दिनांक 23.7.2015 को आवेदन पत्र दिया गया था एवं उस समय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभार की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 लागू हो चुका था अतः उनके द्वारा सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस देय हैं।

07 अनावेदक द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 2010–11 में आवेदक के व्यय पर ट्रांसफार्मर की क्षमता 100 केवीए से 200 केवीए करने के लिए रूपये 1,28,796/– जमा कराये गये थे। परन्तु आवेदक से उस समय कोई भी सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस जमा नहीं कराये गये थे। अतः इस त्रुटि को सुधारते हुए उनसे वर्ष 2010–11 में दिये गये 29 किलोवाट के कनेक्शन के विरूद्ध सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस जमा कराया जाना शेष है।

08 अतः इस प्रकरण में यह देखना जरूरी है कि क्या आवेदक से 25 किलोवाट कनेक्शन के लिए सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस लिया जाना है ? क्या वर्ष 2010–11 में आवेदक द्वारा अपने एक अन्य कनेक्शन 29 किलोवाट के लिए ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने में किया गया खर्चा देय था? और क्या अनावेदक द्वारा इस कनेक्शन के विरूद्ध सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस लेना छूट गया है ? जैसा कि अनावेदक द्वारा अपने लिखित वहस में बताया गया एवं आवेदक के उपरोक्त कनेक्शन पर विनियम 2006 अथवा 2009 के प्रावधान लागू होंगे।

09 उपरोक्त बिन्दुओं के निराकरण के लिए विद्युत प्रदाय संहिता 2004 एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभार की वसूली) विनियम 2006 एवं पुनरीक्षित विनियम 2009 का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार –

अ. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के अध्याय 4 के बिन्दु क्रमांक 4.9 में उल्लेख है कि –

उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय के बिन्दु तक स्थापित की गई अधोसंरचना जो मापयन्त्र बिन्दु (metering point) तक उपभोक्ता के परिसर के बाहर या अन्दर स्थित हो, भले ही इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया गया हो, समस्त प्रयोजनो ं के लिये अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी। अनुज्ञप्तिधारी इसका संधारण (रख–रखाव) अपने स्वयं के व्यय पर करेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह इस सेवा संयोजन (service connection) का उपयोग इसके विस्तार (extension) द्वारा या निकासी (tapping) द्वारा इनकी क्षमता में आवर्धन (augmentation) द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से करे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार किया गया विस्तार या निकासी या आवर्धन विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता या सेवा की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करता हो।

ब. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभार की वसूली) विनियम 2006 की कंडिका 4.1.2 के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ऐसे प्रकरण जिस पर उपभोक्ता स्वयं की लागत पर सेवा लाईन स्थापित करने की व्यवस्था करता है तो ऐसी दशा में इस कंडिका में वर्णित तालिका के अनुसार दर्शायी गई राशि भुगतान योग्य नहीं होगी।

10 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभार की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 के अध्याय–1 की कंडिका (iii) अनुसार –

(iii) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

बशर्ते यह कि ऐसे आवेदक जिनके द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पूर्व विद्यमान विनियमों, यथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभार की वसूली) विनियम 2006, जैसा कि इन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार प्रभारों का भुगतान किया गया है, उन्हें उक्त विनियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

11 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभार की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.2.2 में निम्न प्रावधान हैं –

4.2.2 (अ) किसी वैयक्तिक गैर–घरेलू अथवा औद्योगिक उपभोक्ता अथवा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय हेतु, उपभोक्ता के वितरण प्रसंवाही हेतु वांछित निम्नदाब तन्तुपथ (लाईनें) को उपभोक्ता की लागत पर स्थापित किया जाएगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरणट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा उच्च दाब तन्तुपथ (लाईन) अपनी स्वयं की लागत पर संस्थापित करने की व्यवस्थाकरेगा ।

(ब) उपभोक्ता सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईनईन) सस्ं थापित करने का व्यय स्वयं वहन करेगा । उपभोक्ता वांछित निम्न दाब तन्तुपथ अथवा सेवा तन्तुपथ स्वयं के व्यय पर अनुज्ञप्तिधारी के मानदण्डों (Specifications) के अनुसार किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से प्रचलित दर–अनुसूची (Current Schedule of Rates) के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत की 5 प्रतिशत दर पर पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा अथवा अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से प्रयोज्य प्रभारों के भुगतान द्वारा करा सकेगा ।

(स) वितरण अनुज्ञप्तिधारी वैयक्तिक गैर–घरेलू, औद्योगिक उपभोक्ता तथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, से विनियम 4.2.2 (अ) में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य प्रभारों तथा अधो–संरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) के रूप मेंनिम्न प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा :

स. क्र.	मांग किया गया भार (**Requisitioned Load**)	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर (आवेदन पत्र की लागत, अनुबंध शुल्क तथा प्रतिभूति निक्षेप कोछोड़कर)
i	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 300/– प्रति किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश
ii	3 किलोवॉट (तीन फेस) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 900 + रू. 900 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 3 किलोवाट से अधिक हो
iii	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 7,200 + रू. 2,250 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार 10 किलोवाट से अधिक हो

iv	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75किलोवॉट से अनाधिक	रू. 40,950 + रू0 3750 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार 25 किलोवाट से अधिक हो

12 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभार की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.2.3 में निम्न प्रावधान हैं –

4.2.3 (अ) गैर–घरेलू बहु–प्रयोक्ता काम्पलेक्स/शांपिग मॉल को विद्युत प्रदाय हेतु, आवेदक(ों) को वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तक प्रवेशी उच्च दाब तन्तुपथ, उपभोक्ता के वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र(ों) तथा वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यून मेन्स) तक निम्न दाब तन्तुपथ/केबल की लागत वहन करनी होगी ।

उपभोक्ता को या तो अपने स्वयं की वांछित अधोसंरचना उसके स्वयं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के मानदण्डों के अनुसार एक अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत की 5 प्रतिशत दर पर पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा निर्माण करने अथवा अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से प्रयोज्य प्रभारों के भुगतान उपरान्त कार्य संपादन का विकल्प होगा ।

(ब) (i) यदि काम्पलेक्स/शांपिंग मॉल का संयुक्त भार 2000 किलोवाट से अधिक न हो तो प्रणाली विकास लागत (System Development Cost) हेतु प्रभार रू. 500 प्रति किलोवाट की दर से अधिरोपित किये जाएंगे ।

(ii) यदि काम्पलेक्स/शांपिंग मॉल का संयुक्त भार 2000 किलोवाट से अधिक हो तो ऐसी दशा में आवेदक(ों) को प्रणाली विकास हेतु वांछित क्षमता के 33/11 केवी उपकेन्द्र की संस्थापना हेतु प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

(स) वितरण अनुज्ञप्तिधारी गैर–घरेलू (बहु–प्रयोक्ता काम्पलेक्स/शॉपिंग मॉल) उपभोक्ताओं से विनियम 4.2.3 (अ) तथा (ब) में उल्लेखित प्रयोज्य प्रभारों तथा अधो संरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु भी प्राधिकृत होगा :

स. क्र.	**मांग किया गया भार (Requisitioned Load)**	**उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर (आवेदन पत्र की लागत, अनुबंध शुल्क तथा प्रतिभूति निक्षेप का छोड़कर)**
i	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 30/– प्रति किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश
ii	3 किलोवॉट (तीन फेस) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 90 + रू. 90 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 3 किलोवाट से अधिक हो
iii	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 720 + रू. 225 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार 10 किलोवाट से अधिक हो
iv	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 4,095 + रू0 375 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार 25 किलोवाट से अधिक हो

13 विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 4.9 एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभार की वसूली) विनियम, 2006 एवं (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि –

अ विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 4.9 के प्रावधान का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा स्थापित की गई अधोसंरचना जो मापयंत्र बिन्दु तक उपभोक्ता के परिसर के बाहर या अन्दर स्थित हो, भले ही इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया गया हो, समस्त प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी। अतः आवेदक द्वारा वर्ष 2008–09 में उनके वैयक्तिक गैर घरेलू वाणिज्यिक परिसर हेतु निर्मित अधोसंरचना जिसमें कि उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर ट्रांसफार्मर लगाया गया था तथा वर्ष 2010–11 में इस ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गई थी, यह संपत्ति अनुज्ञप्तिधारी की हो जाती है।

ब. चूंकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा वैयक्तिक गैर घरेलू श्रेणी में वाणिज्यिक परिसर के कनेक्शन हेतु आवेदन दिया है अतः आवेदक पर विनियम 2009 की कंडिका 4.2.2 (अ) (ब) (स) लागू होगी।

स. विनियम 2009 की कंडिका 1 (3) के अनुसार आवेदक द्वारा वर्ष 2008–09 में प्रथम बार अपने वाणिज्यिक परिसर के विद्युतीकरण किये जाने पर स्वीकृत भार पर विनियम, 2006 के ही प्रावधान लागू होंगे।

द. आवेदक द्वारा वर्ष 2010–11 में एक अन्य कनेक्शन संयोजित भार 29 किलोवाट हेतु आवेदन पत्र दिया था। जिस पर विनियम 2009 के प्रावधान लागू होते हैं। इसकी कंडिका 4.2.2 (अ) के अनुसार परिसर में स्थापित उपकेन्द्र अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होने के कारण उसकी क्षमता वृद्धि का व्यय अनुज्ञप्तिधारी को ही उठाना चाहिए था परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसके विपरीत जाकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के लिए राशि रूपये 1,28,796/– आवेदक से जमा कराये गये।

च. अनुज्ञप्तिधारी को विनियम 2009 लागू हो जाने के कारण आवेदक से सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस लेने की पात्रता थी न कि ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने हेतु उस पर हुए व्यय की राशि जमा कराने की।

छ. आवेदक द्वारा दिनांक 23.7.2015 को 25 किलोवाट के नये कनेक्शन के आवेदन पत्र पर विनियम 2009 के प्रावधान अनुसार सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस का भुगतान देय है। क्योंकि वर्ष 2010–11 में क्षमता वृद्धि के पश्चात यह सम्पत्ति भी अनुज्ञप्तिधारी की है।

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर यह आदेशित किया जाता है कि –

(i) वर्ष 2008–09 में स्वीकृत भार के विरूद्ध वर्ष 2009 के विनियम के प्रावधान नहीं लागू होंगे।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 4.9 एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्यय तथा अन्य प्रभार की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 की कंडिका 4.2.2 (अ) के विपरीत जाकर आवेदक से वर्ष 2010–11 में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हेतु व्यय की राशि जमा करायी गई है जिसे आवेदक को वापस किया जाए एवं आवेदक 29 किलोवाट के कनेक्शन के विरूद्ध सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी को करे।

(iii) दिनांक 23.7.2015 को आवेदक द्वारा 25 किलोवाट के नये कनेक्शन हेतु सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस का जो भुगतान किया गया है वह नियमानुसार देय है।

14 फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

15 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल